

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/IV/DRSSA-572021-22/

Date 22.11.2021

To

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief of such civil/ family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th Pay Commission – reg.

Ref:

- 1. O.M. No. 222/XXVII(7)02/2016, Dehradun Dated 24.09.2021 of Government of Uttarakhand, Finance (G.R.-P.C.) Section-7
- 2. SSA No P.A./Pension/DR/Uttarakhand/2021-22/1402 dated 05.11.2021 received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand

I am to enclose herewith the copy of the SSA received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand regarding grant of Dearness Relief of such civil/ family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th Pay Commission. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to

- 1. The Director of Treasuries Thiruvananthapuram
- The Office of the Accountant General (A&E)
 Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan,
 Kaulagarh Dehradoon, Pin 248195
 (For Information)

-Sd.

Sr. Accounts Officer

ई-मेल /Email: agaekerala@cag.gov.in

फैक्स /Fax: 0471-2330242

वेबसाइट /Website: http://www.agker.cag.gov.in

टेलिफोन /Telephone: 0471-2776100

pu/IV/DRSSA/57.

पिन कोड

मार्थालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड। 90665 (महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

पन्नांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/:

दिगांक- 05 11 2021

राजधानी

1154 कायांलय का नाम 380009 अहमदाबाद ग्जरात, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 793001 शिलोंग मेघालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 781029 गौहाटी महालेखाकार (लेखा एव हकदारी) आसाम 834002 रांची झारखण्ड, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 800001 पटना बिहार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 695039 तिरुवनतप्रम केरल, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 474002 ग्वालियर मध्यप्रदेश प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 600018 चेन्नई तमिलनाड् प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 400020 मंग्-बई महाराष्ट्र. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 440001 नागप्र महाराष्ट्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-॥ वैगल्फ क्लाटक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 751001 भवनेश्वर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 160017 चंडीगढ़ पंजाब प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 13. 160047 चंडीगढ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, 14. 171003 शिमला हिमाचल प्रेदश, महालेखाकार (लेखा एव हकदारी) 15. 302005 जयप्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान. 211001 उत्तर प्रदेश. इलाहाबाद महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)॥ 17 700001 कोलकता पश्चिम बंगाल, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 190009 श्रीनगर जम्मू कश्मीर, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 795001 डम्फाल मणिप्र, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 799006 अगरतला महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 21. 797001 कोहिमा नागालेड महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 492111 रायप्र छत्तीसगढ़, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 23. 796001 आईजोल मिजोरम. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 24. 737102 गंगटोक सिक्किम, वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 25. 110124 वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई नर्ड दिल्ली 26. दिल्ली, 403101 पणजी निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार, 27. 605001 पोंडीचेरी पोडीचरा निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र) 28. 791110 अरुणाचल प्रदेश, नाहरलागन निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन 29. 500004 हैदराबाद प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) आंधप्रदेश, 30. 500004 हैदराबाद तेलंगाना प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखंड "महालेखाकर भवन" कौलागढ, देहरादून - 248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 2021-22/ 14०१

दिनांक: 5/11/2021

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय

विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

संलग्न संदर्भ:- अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 7, संख्या:- 220/XXVII (7)02/2016 दिनांक: 24.09.2021

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्नकः यथोपरि ।

भवदीय,

otes, (Not) muly westing

उत्तराखण्ड शासन वित्त (साठनि०—वे०आठ)अनुमाग—7 संख्या—22-27 XXVII(7)02/2018 देहरादून: दिनांक: 24सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 No-222/XXVII(7)02/2016 Dehradun: Dated 24September, 2021

Office Memorandum

विषयः

राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—382 /XXVII(7)02/2016 दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01—07—2021 से 184 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहबं स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2021 @ 189% instead of 164% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 382/XXVII(7)02/2016 Dated 05 November, 2019 for those pensioners whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

- दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई राहत की दर मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन की 164 प्रतिशत ही रहेगी।
- 2. For the period from January 01, 2020 to June 30, 2021, the rate of dearness relief will remain 164 percent of the basic pension/basic family pension.
- उ. यह आदेश माठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विमागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- 3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.
- 4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।
- 4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.
- 5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 / दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- 5. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- हि. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।
- 6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

/ (मनीषा पंवार) अपर मुख्य सचिव।

(Manisha Panwar) Additional Chief Secretary.

संख्या-2-2-(1)/XXVII(7)02/2018, तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं दाथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहराद्न।
- निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।

आज्ञा से, (गंगा प्रसाद) अपर सचिव।

No 2.22(1)/ XXVII(7)02/2016, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- All Additional Chief Secretaryies / Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Principal Secretary/Secretary, Public Industry
 Development Department/Urban
 Development, Govt. of Uttarakhand with the
 request that the admisibility of dearness relief
 may be permitted itself in the view of
 financial status of the bodies/sector and there
 is no need of finance Department Consent.
- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- 7- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand.
- 10- Director, NIC Dehradun.

By Order,

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.